

कोच साम्राज्य: उत्थान और पतन

करुणा पाटगिरी (शोधार्थी)

डॉ. नीलम (सहायक आचार्या)

हिंदी विभाग, एल.पी.यू., पंजाब

शोध सारांश-

कोचराजवंशी जनगोष्ठी असम के प्राचीन शासक वर्गों में से एक है, जो कामरूप-कमता और कोचबिहार के सदियों पुराने समृद्ध इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1250 ई. में राजा संध्या द्वारा स्थापित कामरूप-कमता राज्य का 1498 में बंगाल सुल्तान के आक्रमण से अंत होने के बाद, 1515 ई. में विश्व सिंह ने भुइयों शासकों को हराकर विशाल कोच साम्राज्य की नींव रखी। आगे चलकर राजा नरनारायण और सेनापति चिलाराय के नेतृत्व में इस साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, किंतु 1581 में पारिवारिक विवाद के कारण यह कोचबिहार (पश्चिमी) और कोच हाजो (पूर्वी) दो हिस्सों में विभाजित हो गया। 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई संधि से कोचबिहार अंग्रेजों का आश्रित राज्य बना और अंततः 1949 के विलय समझौते के तहत 1 जनवरी 1950 को इसे पश्चिम बंगाल के एक जिले के रूप में मिला लिया गया। ऐतिहासिक अधिकारों के हनन, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन और विभिन्न राज्यों में असमान संवैधानिक दर्जे (जैसे मेघालय में ST और असम में OBC) के कारण KPP, AKRSU और KLO जैसे संगठनों द्वारा पृथक 'कमतापुर' राज्य तथा असम में अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे की मांग को लेकर 1960 के दशक से निरंतर संघर्ष जारी है। प्रस्तुत शोधालेख में कोच साम्राज्य की उत्थान और पतन की चर्चा की गई है।

बीज शब्द- कोचराजवंशी, जनगोष्ठी, कोच-साम्राज्य, कोच-हाजो, आहोम साम्राज्य।

विषय प्रवेश-

कोचराजवंशी जनगोष्ठी असम और उत्तर बंगाल के सबसे प्राचीन, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली ऐतिहासिक शासक वर्गों में से एक माना जाता है। इनका अतीत कमता साम्राज्य के लगभग 248 वर्षों के समृद्ध शासनकाल और उसके पश्चात् विकसित हुए विशाल कोच साम्राज्य तथा कोचबिहार के 432 वर्षों की निरंतर परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। कमता राज्य की ऐतिहासिक स्थापना सन् 1250 में कामरूप के कोच कबीले के दूरदर्शी राजा संध्या द्वारा की गई थी। उन्होंने पश्चिम दिशा से होने वाले निरंतर मुस्लिम आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा करने और प्रजा की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी को कामरूप नगर (वर्तमान उत्तर गुवाहाटी) से हटाकर बंगाल सीमा पर स्थित सामरिक दृष्टि से सुरक्षित कमतापुर में स्थानांतरित कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं 'कामातेश्वर' की गौरवशाली उपाधि धारण कर शासन की बागडोर संभाली। राजा संध्या के पश्चात् सिंधु (सिंधुराय), दुर्लभनारायण, शशांक, नीलध्वज और नीलंबर जैसे कई प्रतापी राजाओं ने इस क्षेत्र पर सफलतापूर्वक शासन किया। हालाँकि सन् 1498 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने कमतापुर पर एक बड़ा आक्रमण किया और तत्कालीन राजा नीलंबर को बंदी बनाकर युद्ध जीत लिया। सुल्तान ने अपने पुत्र डैनियल को वहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त कर दिया। परंतु यह व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकी और लगभग 1503 ई. में स्थानीय भुइयों सामंतों, जमींदारों तथा आदिवासी सरदारों ने संगठित होकर मुस्लिम शासक डैनियल की हत्या कर दी। इसके फलस्वरूप पूरे साम्राज्य में भारी

राजनीतिक अराजकता और शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे ऐतिहासिक कमता राज्य छोटे-छोटे स्वतंत्र टुकड़ों में खंडित होकर समाप्त हो गया।

इस भयानक राजनीतिक घमासान और अराजकता के दौर में गोवालपारा जिले के चिकनग्राम क्षेत्र के मेच जनजाति के स्थानीय मुखिया हरिया मंडल के पुत्र बिशु, जिन्हें आगे चलकर विश्व सिंह के नाम से एक महान नेता के रूप में उदय हुआ। बिशु एक अत्यंत साहसी, शारीरिक रूप से बलवान और उच्च महत्वाकांक्षा वाले योद्धा थे। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों उत्तर-दक्षिण तटों से लेकर गुवाहाटी तक फैले अनेक छोटे-छोटे भुइयों शासकों को एक-एक करके युद्ध में पराजित किया और संपूर्ण क्षेत्र को फिर से एक सूत्र में पिरोया। सन् 1515 में उन्होंने औपचारिक रूप से 'विश्व सिंह' के नाम से सिंहासन ग्रहण कर एकीकृत एवं शक्तिशाली कोच राज्य की सुदृढ़ नींव रखी। उन्होंने शासन की सुविधा के लिए अपनी पहली राजधानी अपने पैतृक स्थान चिकनग्राम में बनाई और कुछ समय पश्चात् इसे कमतापुर स्थानांतरित कर दिया। सन् 1533 में राजा विश्व सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र नरसिंह ने गद्दी संभाली, किंतु राजपरिवार में उपजे आंतरिक गृहकलह के कारण उन्हें मात्र डेढ़ वर्ष के अल्प शासनकाल के पश्चात् राज्य छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद विश्व सिंह द्वारा पहले से ही मनोनीत किए गए योग्य राजकुमार मल्लादेव, जिन्हें इतिहास में राजा नरनारायण (1533-34) के नाम से जाना जाता है, ने कोच राज्य का सिंहासन संभाला।

राजा नरनारायण ने अपने छोटे भाई और अद्भुत रणकौशल के धनी सेनापति शुक्लध्वज, जिन्हें उनकी युद्ध गति के कारण 'चिलाराय' कहा जाता था। उनके सहयोग से एक अभूतपूर्व विजय अभियान आरंभ किया। वीर सेनापति चिलाराय के नेतृत्व में कोच सेनाओं ने सफलता का परचम लहराते हुए कचारी राज्यों, मणिपुर, जयंतीया, श्रीहट्ट, दिमरिया और खैराम जैसे विशाल क्षेत्रों को जीतकर कोच साम्राज्य के झंडे तले मिला लिया। 1562-63 में कोचों और आहोमों के बीच वर्षों से चले आ रहे भीषण संघर्ष को समाप्त करते हुए शक्तिशाली आहोम राजा चुकाफा ने भी कोच साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली। हालाँकि, 1567-68 के दौरान जब राजा नरनारायण और चिलाराय ने गौड़ के सुल्तान सुलेमान करबानी पर आक्रमण किया, तो इस युद्ध में कोच सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और चिलाराय को बंदी बना लिया गया। यद्यपि सुल्तान ने बाद में चिलाराय को ससम्मान रिहा कर दिया, परंतु कोच साम्राज्य की अजेय सैन्य शक्ति का प्रभाव कुछ हद तक प्रभावित हुआ। आगे चलकर चिलाराय की मृत्यु के बाद साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर गंभीर पारिवारिक विवाद पनपने लगे। इस गृहयुद्ध को रोकने के उद्देश्य से राजा नरनारायण ने सन् 1581 में सोनकोश नदी को एक प्राकृतिक सीमा मानते हुए साम्राज्य का ऐतिहासिक विभाजन कर दिया। इसके तहत सोनकोश नदी के पूर्वी भाग का नाम 'कोच हाजो' (जिसमें गोवालपारा, कामरूप, दरंग का मंगलदै प्रभाग, गारो हिल्स, मध्य ब्रह्मपुत्र क्षेत्र और मैमनसिंह शामिल थे) रखा गया और इसे चिलाराय के पुत्र रघुदेव को सौंपकर उन्हें वहाँ का सहायक राजा बनाया गया, जबकि कमतापुर वाले पश्चिमी भाग अर्थात् 'कोचबिहार' पर नरनारायण ने स्वयं संप्रभु शासक के रूप में शासन बनाए रखा।

सन् 1587 में राजा नरनारायण का देहावसान हो गया, जिसके बाद उनके पुत्र लक्ष्मी नारायण कोचबिहार की गद्दी पर बैठे। लक्ष्मी नारायण के राजा बनते ही कोच हाजो के शासक रघुदेव ने स्वयं को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने नाम के सिक्के जारी किए। इस घटना ने दोनों राज्यों के बीच शत्रुता की एक नई ज्वाला भड़का दी। आगे चलकर यह संघर्ष लक्ष्मी नारायण और रघुदेव के उत्तराधिकारी पुत्र परीक्षित नारायण के बीच और अधिक हिंसक हो गया। इस आपसी दुश्मनी में लक्ष्मी नारायण ने दिल्ली के मुगलों से सहायता माँगी, जिसके परिणामस्वरूप मुगलों ने कोच हाजो पर भीषण आक्रमण कर दिया। दूसरी तरफ से शक्तिशाली आहोमों ने भी दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इस दोहरे आक्रमण के कारण कोच हाजो का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया और वह मुगलों के सीधे नियंत्रण में आ गया। इसी दौरान परीक्षित नारायण के भाई बलि नारायण ने आहोमों के संरक्षण में दरंग क्षेत्र में एक नए 'दरंग राजवंश' की स्थापना की। इसके बाद विश्व सिंह द्वारा स्थापित मूल राजवंश कई छोटी-छोटी प्रांतीय शाखाओं और जमींदारियों में विभाजित हो गया, जिनमें दरंग, बेलतला, रायकट, पांगार, काचार, बिजनी, गौरीपुर, चिडली और चापर जैसी रियासतें व जमींदारियाँ प्रमुख थीं।

दूसरी ओर, कोचबिहार राज्य पर नरनारायण के वंशजों का निरंतर शासन बना रहा, परंतु मुगलों के साथ लंबे समय तक चले संघर्षों और सहयोग के बाद 18वीं शताब्दी में वहाँ पड़ोसी भूटानी शासकों का अत्यधिक विनाशकारी हस्तक्षेप आरंभ हो गया। कोच राजाओं की प्रशासनिक कमजोरी का अनुचित लाभ उठाते हुए भूटानी राजा न केवल कोचबिहार के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, बल्कि वे राजाओं को गद्दी से हटाने और प्रशासनिक शक्तियों पर कब्जा करने जैसी गतिविधियों में लिप्त हो गए। यह संकट सन् 1772 में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया जब भूटानी सेना ने कोचबिहार पर सीधा आक्रमण करके राजा धैर्येंद्र नारायण को बंदी बना लिया और उनकी जगह बिजेन्द्र नारायण को नया राजा नियुक्त कर दिया। इस आपातकालीन परिस्थिति और राजनीतिक संकट से उबरने के लिए कोचबिहार के राजनैतिक प्रतिनिधियों ने 5 अप्रैल 1773 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक महत्वपूर्ण आश्रित संधि (Protectorate Treaty) पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने भूटानी आक्रमणकारियों को बाहर खदेड़ दिया और बंदी राजा धैर्येंद्र नारायण को रिहा करवाकर 1775 में पुनः गद्दी पर बैठाया, किंतु इस समझौते के कारण कोचबिहार ने अपनी पूर्ण संप्रभुता खो दी और वह ब्रिटिश कंपनी का एक आश्रित राज्य बनकर रह गया। इसके बाद के कालखंड में महाराजा हरेंद्र नारायण (1783-1840), शिवेंद्र नारायण (1840-1847), नरेंद्र नारायण (1847-1863), नृपेंद्र नारायण (1863-1911), राजेंद्र नारायण (1911-13), जितेंद्र नारायण (1913-22) और अंतिम राजा जगदीश नारायण (1922-1949) ने ब्रिटिश भारत की एक देशी रियासत (Princely State) के रूप में कोचबिहार पर शासन किया।

15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात् भारतीय स्वतंत्रता हस्तांतरण अधिनियम के तहत देशी रियासतों को भारत डोमिनियन में शामिल होने का अवसर मिला। इसी क्रम में 28 अगस्त 1949 को कोचबिहार के अंतिम महाराजा जगदीश नारायण और भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 'कोचबिहार विलय समझौता' (Cooch Behar Merger Agreement) पर हस्ताक्षर किए गए। इस ऐतिहासिक समझौते के अनुसार 12 सितंबर 1949 से महाराजा ने राज्य के शासन से संबंधित सभी प्रशासनिक अधिकार भारत सरकार को सौंप दिए। आरंभ में भारत सरकार ने इसे संविधान की अनुसूची 'सी' (Class 'C' State) के तहत एक केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में मान्यता दी, जिसका संचालन एक मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाना तय हुआ था। परंतु इस व्यवस्था को बहुत ही अल्प समय में समाप्त करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी एक विशेष आदेश के माध्यम से 1 जनवरी 1950 को कोचबिहार को पश्चिम बंगाल राज्य के एक साधारण जिले के रूप में मिला लिया गया। इस त्वरित विलय प्रक्रिया और मूल समझौते के कथित उल्लंघन को आधार बनाकर, तथा साथ ही इस पूरे क्षेत्र के कोचराजवंशी समुदाय के सामाजिक-आर्थिक, भाषाई और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए, उत्तरी बंगाल और पश्चिमी असम के विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक संगठनों द्वारा ऐतिहासिक 'कमतापुर' राज्य के पुनर्गठन की माँग लंबे समय से उठाई जा रही है।

इस पृथक कमतापुर राज्य आंदोलन का एक विस्तृत इतिहास रहा है। देश की आजादी से पूर्व पिछड़े वर्गों के नेता जोगेंद्र नाथ मंडल ने राजवंशियों के लिए पृथक राज्य की बात कही थी। इसके पश्चात् सन् 1954 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) असम व बंगाल दौरे पर आया, तब गोवालपारा, कोचबिहार, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की जोरदार माँग उठाई गई और गौरीपुर के संतोष बरुआ ने आयोग को इस बाबत एक ज्ञापन भी सौंपा था। आगे चलकर 1969 में उत्तर बंगाल में 'उत्तर खंड दल' (UKD) और असम के गोवालपारा में 'कमता राज्य संग्राम परिषद' का गठन हुआ, जिसमें डॉ. कृष्ण बरुआ और सांसद जहानुद्दीन अहमद जैसे नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। 1987 में उत्तर खंड दल से 'कमतापुर गण परिषद' बनी और फिर 1997 में कमतापुर छात्र संघ (KSS) के सहयोग से 'कमतापुर पीपुल्स पार्टी' (KPP) का गठन हुआ। सितंबर 1998 में 'ग्रेटर कोचबिहार पीपुल्स एसोसिएशन' (GCPA) अस्तित्व में आई। वहीं दूसरी ओर, अगस्त 1991 में गठित 'ऑल कोच राजवंशी स्टूडेंट्स यूनियन' (AKRSU) इस आंदोलन का सबसे प्रमुख संवाहक बना, जो असम के 11 जिलों (कोकराझार, धुबरी, बंगाईगाँव, गोवालपारा, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप, दरंग, सोनितपुर, लखीमपुर, मरीगाँव) और पश्चिम बंगाल के उत्तर बंगाल क्षेत्र के जिलों को मिलाकर एक पूर्ण कमतापुर राज्य के गठन की संवैधानिक माँग उठा रहा है। इसके

अतिरिक्त, सशस्त्र संघर्ष के मार्ग को चुनते हुए 28 दिसंबर 1995 को उत्तर बंगाल के कुमारग्राम में 'कमतापुर लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन' (KLO) का भी गठन किया गया था।

अलग राज्य की माँग के साथ-साथ कोचराजवंशी समुदाय लंबे समय से भारत के अलग-अलग राज्यों में अपनी प्रशासनिक पहचान की विसंगतियों को दूर करने और असम में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। वर्तमान संवैधानिक वर्गीकरण के अनुसार कोचराजवंशियों को पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति (SC), मेघालय और त्रिपुरा में अनुसूचित जनजाति (ST), जबकि असम में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC/MOBC) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ब्रिटिश काल के दौरान अविभाजित गोवालपारा जिले के कोचराजवंशियों को जनजातीय लाभ और नौकरियों में प्राथमिकता मिलती थी, परंतु 1950 में संविधान लागू होने के बाद उन्हें इस अनुसूची से बाहर कर दिया गया और 1953 में काका कालेलकर आयोग की सिफारिश पर असम में केवल OBC का दर्जा दिया गया। इस विसंगति को दूर करने के लिए 1967 के असम कोचराजवंशी सम्मेलन के माध्यम से ST दर्जे की माँग ने व्यापक जोर पकड़ा। 1968 में संसद सदस्य ए.के. चंदा की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष भी यह मामला मजबूती से रखा गया था, किंतु असम सरकार की आपत्तियों के कारण चंदा समिति ने इसे खारिज कर दिया था।

बाद के वर्षों में जब मेघालय सरकार ने राजवंशियों को ST सूची में शामिल कर लिया, तो असम के कोचराजवंशी संगठनों ने आंदोलन और तीव्र कर दिया तथा 1980-81 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ज्ञापन सौंपे। इसके बाद हितेश्वर सईकिया के नेतृत्व वाली असम सरकार ने 3 जुलाई 1993 को कोचराजवंशी समुदाय को ST सूची में शामिल करने की सिफारिश केंद्र को भेजी। व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् 27 जनवरी 1996 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक ऐतिहासिक अध्यादेश जारी कर असम के कोचराजवंशी जनगोष्ठी को अनुसूचित जनजाति (ST) का संवैधानिक दर्जा प्रदान भी कर दिया गया था। हालाँकि, यह अध्यादेश संसद में एक नियमित कानून के रूप में पारित नहीं हो सका, क्योंकि राज्य के अन्य पहले से सूचीबद्ध जनजातीय समूहों (विशेष रूप से बोड़ो संगठनों) ने इसका कड़ा विरोध किया और ऑल असम ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने इसके खिलाफ गुवाहाटी उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर दी। अंततः बार-बार पुनर्जारी किए जाने के बावजूद समय-सीमा समाप्त होने के कारण यह अध्यादेश निष्प्रभावी हो गया और ST दर्जे का मुद्दा लटक गया।

इन सभी ऐतिहासिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक आंदोलनों को दिशा देने तथा समुदाय की आवाज बुलंद करने में कई प्रमुख संगठनों का योगदान रहा है। 'सदौ असम कोचराजवंशी सम्मिलनी' की स्थापना का पहला ऐतिहासिक पूर्ण अधिवेशन 19 फरवरी 1940 को नगाँव के शौलमारी में रमणिकांत बरुआ की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। 1959-60 में इस संगठन का विधिवत पंजीकरण कराया गया, जिसका नेतृत्व अंबिकाचरण चौधुरी, ललित नारायण देव, कबीर चंद्र प्रधानी और फनी मेधी जैसे प्रबुद्ध नेताओं ने विभिन्न कालों में किया। बाद के दशकों में युवा और महिला शक्ति को जोड़ने के लिए 1987 में 'सदौ असम कोच राजवंशी युवा-छात्र सम्मिलनी' और 1989 में 'महिला सम्मिलनी' का गठन हुआ। 1991 में युवा नेतृत्व ने आक्रामक रणनीति अपनाते हुए 'ऑल कोच राजवंशी स्टूडेंट्स यूनियन' (AKRSU) का गठन किया, जिसने बिमल कुमार बर्मन, हरमोहन मेधी, निर्मल कुमार रॉय, बिस्वजीत रॉय और अतुल रॉय जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में आंदोलन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। यद्यपि समय-समय पर इसमें मतभेद और सांगठनिक विभाजन भी देखने को मिले, परंतु AKRSU, 'कोच राजवंशी जातीय मंच' (2012) और 'कोच-राजवंशी संयुक्त मंच' (2011) जैसे संगठन आज भी कोचराजवंशी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, स्वशासी अधिकारों, ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और असम में अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्षरत हैं।

निष्कर्ष

कोचराजवंशी समुदाय का इतिहास समृद्ध और गौरवशाली कामरूप-कमता साम्राज्य तथा विश्व सिंह द्वारा स्थापित कोच साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक कालक्रम में अंतर-कलह, मुगलों और आहोमों के दबाव और भूतानी हस्तक्षेप

के कारण यह विशाल साम्राज्य खंडित हुआ और 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आश्रित राज्य बन गया। स्वतंत्रता के बाद, 1949 के विलय समझौते और 1950 में कोचबिहार को पश्चिम बंगाल के एक जिले के रूप में मिलाए जाने के बाद इस समुदाय के लिए राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ बढ़ीं। वर्तमान में, कमतापुर नामक पृथक राज्य की मांग और असम में अनुसूचित जनजाति (ST) के दर्जे की प्राप्ति, कोचराजवंशी समुदाय के ऐतिहासिक अस्तित्व, सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक-आर्थिक स्वाभिमान को बनाए रखने की एक निरंतर और संगठित संघर्ष यात्रा है।

संदर्भ सूची-

1. *The Comprehensive History of Assam* – एस. एल. बरुआ, मुंशीराम मनोहरलाल पब्लिशर्स, 1985
2. असमर इतिहास – डॉ. निशिपद देब चौधरी, चेनेही बेगम, डॉ. शांत बर्मन (असम साहित्य सभा), 2007
3. कोचराजवंशी जनगोष्ठीर इतिहास और संस्कृति – अंबिकाचरण चौधुरी, रत्नपीठ प्रकाशन, बंगाईगाँव, 1969
4. कोचराजवंशी सन्मिलनीर समीक्षात्मक इतिहास – अंबिकाचरण चौधुरी, रत्नपीठ प्रकाशन, बंगाईगाँव, 1993
5. असमर इतिहास – पद्मनाथ गोहाई बरुआ, लीला एजेंसी, तेजपुर, 1899

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.